27/11/25 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। पूर्व पेशी पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष आपत्ति आवेदन विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। प्रतिवादिगण की ओर से आवेदन आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर इस आशय का पेश की गई कि प्रकरण में दिनांक 10/5/2025 को निर्णय किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार जोबनेर ग्रामीण से बंटवारा प्रस्ताव भूमि ख.न. 705/976 रकबा 1.75 हैक्टर ग्राम ग्राम चन्दपुरा के सम्बन्ध में पक्षकारान के मुताबिक हक सभी खातेदारों के मध्य [illegible] एवं [illegible] विभाजन कर प्रत्येक खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते का प्रावधान कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने बाबत आदेश दिया गया था परन्तु तहसीलदार जोबनेर ग्रामीण ने न्यायालय द्वारा दिये निर्देशानुसार मौके पर नहीं जाकर बंटवारा प्रस्ताव बनाने की पालना नहीं की व न ही अप्रार्थीगण को उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया, ना ही उनके सामने कोई बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। तह. जोबनेर ग्रामीण ने वादी के वकील उनके कहने के मुताबिक उनके पक्ष में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया एवं शेष सभी खातेदारों की खातेदारी [illegible] कम कर दी गई। ऐसी स्थिति में ~~[illegible]~~ न्यायालय के निर्देशानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं होने के कारण उक्त बंटवारा प्रस्ताव से आपत्तिकर्ता सहमत नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आपत्ति आवेदन को स्वीकार किया जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाने बाबत आदेश जारी करें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा दौराने बहस आवेदन के तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता वादी द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया व कथन किया गया कि मौके पर तहसीलदार द्वारा समस्त खातेदारों को नोटिस जारी किया गया था [illegible]

[illegible] आपत्ति आवेदन विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। प्रतिवादिगण की ओर से आवेदन आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर इस आशय की पेश की गई कि प्रकरण में दिनांक 10/5/2015 को निर्णय किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार सीकर ग्रामीण से बंटवारा प्रस्ताव खसरा नं. 705/976 रकबा 1.75 हैक्टर ग्राम चन्दपुरा के सम्बन्ध में पक्षकारान की सुविधा हेतु सभी खातेदारों के मध्य मेट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर प्रत्येक खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते का प्रावधान कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने बाबत आदेश दिया गया था परन्तु तहसीलदार सीकर ग्रामीण ने न्यायालय द्वारा दिये निर्देशानुसार मौके पर नहीं जाकर बंटवारा प्रस्ताव बनाने की कार्यवाही नहीं की व न ही अप्रार्थीगण को उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया, ना ही उनके सामने कोई बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। तह. सीकर ग्रामीण ने वादी के काबिज उसके कहने के मुताबिक उसके पक्ष में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया एवं शेष सभी खातेदारों की खातेदारी सम्बन्धी सीमा ही बदल दी गई। ऐसी स्थिति में ~~[illegible]~~ न्यायालय के निर्देशानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं होने के कारण उक्त बंटवारा प्रस्ताव से आपत्तिकर्ता सहमत नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आपत्ति आवेदन को स्वीकार किया जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाने बाबत आदेश जारी करें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता आवेदनकर्ता द्वारा दौराने बहस आवेदन के तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता वादी द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया व कथन किया गया कि मौके पर तहसीलदार द्वारा समस्त खातेदारों को नोटिस जारी किया गया था परन्तु मौके पर उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा आवेदनकर्ता स्वयं ~~द्वारा~~ ~~बंटवारा~~ के अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक डिग्री, जारी,

पखण्ड अधिकारी, सीकर